संख्या– 7653 /38–7–10–10एनआरईजीए/2005टीसी

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी/ जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
   उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 11 नवम्बर, 2010

विषयः–महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्यरत तकनीकी सहायकों के मानदेय निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में शासन द्वारा अन्य राज्यों में तकनीकी सहायकों को मिल रहे मानदेय तथा वर्तमान मंहगाई के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यरत समस्त तकनीकी सहायकों का मानदेय रू0 4000/– से बढ़ाकर रू0 8000/– प्रतिमाह दिये जाने का निर्णय लेने के साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि तकनीकी सहायकों के मानदेय में की जा रही वृद्धि मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–35284–35299/09 में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका के लम्बित रहने के दौरान उ0प्र0 में कोई भी तकनीकी सहायक सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियुक्त नहीं किया जायेगा।

2– कृपया कार्यरत तकनीकी सहायकों के मानदेय के संबंध में लिये गये उपरोक्त निर्णयानुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

11.11.10

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव।

संख्याः– 7653 /38–7–2010तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1)आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2)अपर आयुक्त(मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 , लखनऊ।
(3)समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4)समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5)समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डीआरडीए उत्तर प्रदेश।
(6)गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनुसचिव।

Circular on GO- Jan- 2010